न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– ओम कसेरा, I.A.S.

प्रकरण संख्या –14/2017 (अपील)

मनोहर कंवर पत्नि भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी हाल संतोषी नगर, कोटा

––अपीलाण्ट.

बनाम

तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा (राज0)

–––रेस्पोडेन्ट.

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व तहसीलदार रामगंजमण्डी आदेश दिनांक 21.04.2005 ग्राम खैराबाद तह0 रामगंजमण्डी जिला कोटा

उस्थिति

1. श्री तेज सिंह धाभाई अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक– 03.12.019

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रामगंजमण्डी द्वारा ग्राम खैराबाद में खातेदार पुष्पा बाई (मृतक) का फौती नामा0 सं0 2295 में अपने निर्णय दिनांक 21.4.2005से आदेश दिया कि–"मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व जांच आई0एल0आर0 के अनुसार उक्त भूमि वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहां विचाराधीन होने से नामान्तकरण निरस्त किया जाता है, बाद के निर्णय के बाद नामान्तकरण की कार्यवाही की जावें ।"

2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 22.12.2016 को लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ पेश कर कथन किया है कि ग्राम खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा की खसरा नम्बर 2211 की आराजी पूर्व में पुष्पाबाई की मृत्यु के बाद पुष्पाबाई के पति द्वारा स्वयं के नाम उक्त भूमि खाते दर्ज किये जाने का प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट के समक्ष पेश किया जिसे रेस्पोडेन्ट द्वारा इस आदेश के साथ नामान्तकरण कार्यवाही को रोक दिया कि उक्त भूमि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहां वाद विचाराधीन होने से नामान्तकरण निरस्त किया जाता है । निर्णय के बाद नामान्तकरण कार्यवाही की जावें । पुष्पाबाई लाऔलाद थी जिससे जवाहर सिंह द्वारा स्वयं के नाम नामान्तकरण दर्ज किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहां कोई वाद विचाराधीन नहीं था ना ही वर्तमान में उक्त आराजी बाबत विचाराधीन है, बावजूद इसके रेस्पोडेन्ट द्वारा नामान्तकरण कार्यवाही पर रोक लगा रखी है जो विधि विरूद्व है । जवाहर

Scanned by CamScanner

सिंह की भी मृत्यु हो चुकी है । जवाहर सिंह ने अपने जीवित रहते उक्त आराजी की वसीयत अपीलांट के नाम कर दी है उक्त वसीयत के आधार पर जब अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट के यहां नामान्तकरण हेतु प्रार्थना पत्र स्वयं के खाते दर्ज रिकार्ड करने के लिये प्रस्तुत किया जिसे रेस्पोडेन्ट द्वारा अस्वीकार कर दिया क्योंकि दिनांक 21.4.2005 से उक्त आराजी के नामान्तकरण पर रोक लगा रखी है जिससे अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण दर्ज नहीं किया जा सकता । जबकि वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी के यहां उक्त आराजी बाबत कोई वाद विचाराधीन नहीं है, बावजूद इसके रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 21.4.2005 के आदेश को आधार बताकर नामान्तकरण कार्यवाही पर रोक लगा रखी है जो न्यायोचित नहीं है, जिसे अपास्त किया जाना आवश्यक है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । वकील अपीलान्ट व पेरोकार सरकार उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि ग्राम खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा की खसरा नम्बर 2211 की आराजी पूर्व में पुष्पाबाई खातेदार की मृत्यु के बाद पुष्पाबाई के पति द्वारा स्वयं के नाम उक्त भूमि खाते दर्ज किये जाने का प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट के समक्ष पेश किया जिसे रेस्पोडेन्ट द्वारा इस आदेश के साथ नामान्तकरण कार्यवाही को रोक दिया कि उक्त भूमि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहां वाद विचाराधीन होने से नामान्तकरण निरस्त किया जाता है निर्णय के बाद नामान्तकरण कार्यवाही की जावें । पुष्पाबाई लाऔलाद थी जिससे जवाहर सिंह द्वारा स्वयं के नाम नामान्तकरण दर्ज किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहां कोई वाद विचाराधीन नहीं था ना ही वर्तमान में उक्त आराजी बाबत विचाराधीन है बावजूद इसके रेस्पोडेन्ट द्वारा नामान्तकरण कार्यवाही पर रोक लगा रखी है जो विधि विरूद्व है । अतः अपील स्वीकार की जाकर नामान्तकरण की रोक हटवाई जाकर नामान्तकरण तस्दीक करने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय को प्रदान करावें ।

5. पेरोकार सरकार तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 11.10.2019 में भी पुनः नामान्तकरण सं0 2295 ग्राम खेराबाद में अंकित तथ्य ही बताए है कि वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी के यहां वाद विचाराधीन होने बाबत तथ्य अंकित किये है तथा उक्त भूमि ख0नं0 2613 रकबा 2.44 हे0 पर वर्तमान में सन्तोष गुर्जर पत्नि राजकुमार द्वारा काश्त करना अंकित किया है ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 22.12.2018 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ तहसीलदार रामगंजमण्डी के आदेश दिनांक 21.4.1005 के विरूद्व पेश की है । अपीलांट द्वारा विलम्ब से अपील पेश करने के कोई विशेष कारण अंकित नहीं किया है, ऐसी स्थिति में अपील मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दु पर

Scanned by CamScanner

ही खारिज की जा सकती है, किन्तु न्यायहित को दृष्टिगत रखते अपीलांट का लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।

7. इस अपील के सम्बन्ध में तहसीलदार रामगंजमण्डी से जैरअपील नामान्तकरण पर अंकित रिपोर्ट के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी के यहां विचाराधीन प्रकरण की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट चाही गई किन्तु रिपोर्ट अस्पष्ट है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वर्तमान में कोई वाद विचाराधीन है अथवा नहीं तथा उक्त भूमि पर अन्य द्वारा काश्त की जा रही है । ऐसी स्थिति में अपील में गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना संभव नहीं है ।

8. अतः अपील अपीलांट बिना गुणावगुण पर विश्लेषण किये अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी को प्रति–प्रेषित की जाकर आदेशित किया जाता है कि नामा0 सं0 2295 ग्राम खैराबाद के सम्बन्ध में पटवारी रिपोर्ट अनुसार उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण का यदि निस्तारण हो गया हो तो निर्णयानुसार वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करें ।

9. निर्णय आज दिनांक 03.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला कलक्टर कोटा

Scanned by CamScanner